कार्यालय –जिला विधिक सेवा प्राधिकार राँची

अधिसूचना संख्या – 02/2024

पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है।

(यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है)

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा कुल 164 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। आवेदन करने हेतु आवेदन का प्रपत्र, जिला विधिक सेवा प्राधिकार रांची कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है या सिविल कोर्ट राँची के आधिकारिक वेबासाईट– https://ranchi.dcourts.gov.in से डाउनलोड किया जा सकता है।

आवेदन करने हेतु निम्नलिखित निर्देशों का पालन करना आवश्यक है:–

- आवेदन सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, राँची–834001 के पता पर स्वीकार किए जायेगे।
- आवेदन सूचना की तिथि से लेकर दिनांक 13/09/2024 तक ही स्वीकार किए जायेंगे।

कौन आवेदन दे सकता है– जिला राँची एवं इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति(महिला/पुरुष/अन्य) जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते है या उनके लिए स्वेच्छिक सेवा करना चाहते है, जैसे सेवानिवृत शिक्षक सहित सेवानिवृत सरकारी कर्मचारी/ वरिष्ठ नागरिक/ M.S.W. छात्र एवं शिक्षक, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र और विधि के छात्र (जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है), गैर–राजनितिक सेवा उन्मुख गैर–सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य स्वयं सहायता समूह मैत्री समूह जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दुसरो की सेवा में रुचि रखते हो तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पीएलवी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझे।

पारा विधिक स्वयं सेवक के कार्य :— पारा विधिक स्वयं सेवको को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं तालुक विधिक सेवा समिति द्वारा निर्देशित किया जाय।

पदों की संख्या :— जिला विधिक सेवा प्राधिकार, रांची के द्वारा कुल 164 रिक्त पदों के विरुद्ध पारा विधिक स्वयं सेवक के चयन हेतु आवेदन आमंत्रित किए जाते है। इस संबंध में अंतिम निर्णय झारखण्ड विधिक सेवा प्राधिकार, राँची का होगा। (राँची जिला एवं इसके अनुमंडल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा।)

आरक्षण :—क्योंकि पारा विधिक स्वयं सेवको को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है। अतः पदों पर प्रतिनियुक्ति में कोइ आरक्षण नहीं है। स्कीम के अनुरूप सभी वर्णों (महिला, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग आदि) को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा।

उम्र सीमा :— न्यूनतम 18 वर्ष।

शैक्षणिक योग्यता :— मैट्रिक अथवा समकक्ष।

मानदेय :— पी० एल० वी० के कार्य पूर्णतः अस्थायी है एवं कोई वेतन नहीं है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं झारखण्ड राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा—निर्देश के आलोक में वर्तमान में प्रत्येक कार्य दिवस हेतु 700/—(सात सौ रूपया) प्रतिदिन का मानदेय निर्धारित है जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु होगा तथा यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा, जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु निर्देशित करती हैं या स्वयं सेवक अपने क्षेत्र से किसी व्यक्ति को विधिक सहायता प्रदान करता है या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है।

पात्रता/योग्यता :—1. आवेदक भारत का नागरिक हो 2. आवेदक रांची जिला का निवासी हो 3. शारीरिक एवं मानसिक रूप से स्वस्थ हो 4. अच्छा चरित्र का हो

5. समाज सेवा में रुचि रखता हो 6. किसी अपराधिक मामले का आरोपी/दोषी सिद्ध न हो।

आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर साथ ही स्वपता लिफाफा 42 रु० का डाक टिकट चिपकाकर, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, राँची के कार्यालय में पंजीकृत डाक से या हाथो–हाथ अंतिम तिथि 13/09/2024 की संध्या 5:00 बजे अपराह्न तक जमा कर सकते है। अंतिम तिथि के बाद आवदेन पर विचार नहीं किया जाएगा एवं अपूर्ण/अधूरे आवेदन को अस्वीकृत का दिया जाएगा। आवेदन भेजने का पता:– सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, व्यवहार न्यायालय, राँची, पिन न०–834001.

पारा विधिक स्वयं सेवको का चयन साक्षत्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के सबंध में अंतिम निर्णय, चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा।

Diwakar Pandey
05/09/24

न्यायायुक्त सह अध्यक्ष

जिला विधिक सेवा प्राधिकार, राँची